57

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 254–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 13 जनवरी 2011 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 69/2009–10 निगरानी

महावीर सिंह (मृतक) पुत्र मुलायम सिंह भदौरिया

वारिस

1– महिला सुषमा पत्नि स्व0 महावीर सिंह

2– प्रवीण 3–विवेक पुत्रगण स्व.महावीरसिंह

4– श्रीमती रेखा कुशवाह पुत्री महावीर सिंह
पत्नि अखिलेश कुशवाह

5– सुश्री सीमा 6– सुश्री प्रीति भदौरिया
पुत्री स्व. महावीर सिंह सभी निवासी
194 वल्लभनगर उज्जैन मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला मुन्नी देवी पुत्री मुलायम सिंह
पत्नि मुन्नासिंह निवासी पुलावली
तहसील व जिला भिण्ड

2– महिला रामादेवी पुत्री मुलायम सिंह
पत्नि गंगासिंह ग्राम सिकरोदा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड

3– महिला रामरती उर्फ रामवती पुत्री मुलायम
पत्नि सुरेन्द्र सिंह ग्राम ईश्वरी तहसील
मेहगॉव जिला भिण्ड

4– विजयादेवी पुत्री मुलायम सिंह
पत्नि प्रीतम सिंह, रंजनानगर भिण्ड

कृ0पृ0उ0--2

5- जण्डेल सिंह
6- राजेन्द्रसिंह दोनों पुत्रगण
मुलायम सिंह ग्राम गोरमी तहसील
मेहगॉव जिला भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 20 - 4 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 69/ 2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-1-11 के विरुद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 से 4 ने तहसीलदार मेहगॉव के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह पुत्र रसाल सिंह के नाम कस्वा गोरमी में कुल किता 23 कुल रकबा 26 वीघा 6 विसवा भूमि थी, जिसमें उनके पुत्रगण एंव वह हिस्सा 1/7 के उत्तराधिकारी है परन्तु तहसील के कर्मचारियों से मिलकर प्रकरण क्रमांक 7/1969-70 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 10.9.1968 से महावीर सिंह, जण्डेल सिंह, मुलायम सिंह ने अपना नामान्तरण करा लिया है इसलिये 10-9-68 की स्थिति कायम की जाकर हिस्सा 1/7 अनुसार नामान्तरण किया जाय।

तहसीलदार गोरमी ने प्रकरण क्रमांक 23/06-07 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 30-10-2007 से मृतक मुलायम सिंह के स्थान पर उसके पुत्र/पुत्रियों का हिस्सा

1/7 पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 13/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-10 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 69/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-1-11 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव का आदेश दिनांक 31-5-10 निरस्त किया गया इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय किया गया ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि मुलायम सिंह पुत्र रसाल सिंह के नाम कस्वा गोरमी में कुल किता 23 कुल रकबा 26 वीघा 6 विसवा भूमि थी, जिनकी मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिस इस प्रकार पाये गये हैं -

पुत्रगण

1. स्वर्गीय महावीर सिंह
2. जण्डेल सिंह
3. राजेन्द्र सिंह

पुत्रियॉ

4. श्रीमती मुन्नी देवी
5. श्रीमती रामा देवी
6. श्रीमती रामरती
7. श्रीमती विजयदेवी

स्वर्गीय मुलायम सिंह के सातों पुत्र/पुत्रियां हिस्सा 1/7 के उत्तराधिकारी है परन्तु तत्समय दिये गये आदेश दिनांक 10.9.68 में पुत्रियों को छोड़कर केवल पुत्रगण का हिस्सा 1/3 पर नामान्तरण किया गया था, जिसके कारण तहसीलदार गोरमी ने प्रकरण कमांक 23/06-07 अ-6 में आदेश दिनांक 30-10-2007 से मृतक मुलायम सिंह के स्थान पर उसके पुत्र/पुत्रियों का हिस्सा 1/7 पर नामान्तरण स्वीकार किया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित कर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने का प्रयास किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 69/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-1-11से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-5-10 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 69/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-1-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर